

प्रेस नोट

27.02.2021

मुख्यार अंसारी गिरोह (आई०एस० 191) के सहयोगी 11 शातिर अपराधियों के विरुद्ध की गयी जिलाबदर की कार्यवाही—

जनपद में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी मऊ श्री अमित सिंह बंसल द्वारा 11 शातिर अभ्यासतन अपराधियों को जिला बदर घोषित किया गया है जिनका विवरण निम्नवत है—

1. दिव्याशु राय पुत्र अरविन्द राय निवासी काढीकला थाना कोपागंज जनपद मऊ (06 माह)
2. अंकुर राय पुत्र रामदरश राय निवासी सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ (06 माह)
3. कैफायतुल्लाह पुत्र असमतुल्ला निवासी फूलेलपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ (06 माह)
4. अखण्ड राय पुत्र अशोक राय निवासी सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ (06 माह)
5. मनीष राय पुत्र स्व० विपिन राय निवासी सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ (06 माह)
6. चद्रविजय राय पुत्र आनन्द राय निवासी सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ (03 माह)
7. विशाल राय पुत्र गोपाल राय निवासी सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ (06 माह)
8. विशाल राय पुत्र संजीव राय निवासी सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ (06 माह)
9. मो० अजमल कुरैशी पुत्र अब्दुल रहमान निवासी अलाउद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ (4)
10. मो० शकील अहमद पुत्र मो० युसूफ निवासी अलाउद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ (4)
11. मो० शकील अहमद पुत्र वकील अहमद निवासी अलाउद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ (4)

शांति भंग की आशंका में 13 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 27.02.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा अशोक यादव, संजय यादव निवासीगण शक्करपुर थाना दोहरीघाट, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा प्रभुनाथ निवासी दतौड़ा, प्रणव यादव, धनन्जय यादव निवासीगण मडैली, अरविन्द यादव निवासी मुबारकपुर थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा मुखराम, गया प्रसाद निवासीगण फैजुल्लाहपुर थाना कोपागंज, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा उमाशंकर, गोविन्दा कुमार, बजरंगी, विजय कुमार निवासीगण सलाहाबाद, अजीत कुमार निवासी लोहाटीकर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।